महत्वपूर्ण बैठक का अनुपालन

बिहार सरकार
अनु0जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग
सं0–1 / पी0सी0आर0(विविध)–09–64 / 2014– 165

प्रेषक,

एस0 एम0 राजू,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी।

पटना, दिनांक– 20.01.2015

विषय– **दिनांक–21.11.14 को माननीय मुख्य मंत्री, बिहार की अध्यक्षता में आयोजित राज्य स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक की कार्यवाही का अनुपालन एवं जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति का पुर्नगठन करने के संबंध में।**

महाशय,

कृपया उर्पयुक्त विषयक राज्य स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक दिनांक–21.11.14 की कार्यवाही (पत्रांक–2737 दिनांक–09.12.14) का संदर्भ करें। उक्त बैठक की कार्यवाही विभागीय बेवसाईट www.scstwelfare.bih.nic.in पर उपलब्ध है।

2– अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियमवली–1995 के तहत गठित राज्य स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की दिनांक–21.11.14 को आयोजित बैठक में माननीय मुख्य मंत्री, बिहार द्वारा समीक्षा के कम में निम्नांकित निदेश दिये गये :–

(क) जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में "**जिला स्तरीय सतर्कता एवं मोनीटरिंग समिति**" का पुर्नगठन किया जाय। नियमावली–1995 के नियम–17 के आलोक में राज्य के अन्तर्गत जिले में जिला पदाधिकारी, अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को प्रभावकारी रूप से लागू करने, पीड़ित व्यक्तियों को राहत और पुनर्वास सुविधाएं उपलब्ध कराने, अधिनियम के अधीन दर्ज मामलों का अभियोजन, अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण करने इत्यादि के लिए अपने जिला में "**जिला स्तरीय सतर्कता एवं मोनीटरिंग समिति**" की स्थापना करेगा।

इस नियम–17(2) के आलोक में समिति के निम्नांकित सदस्य होंगे:–

1– संबंधित जिला के माननीय सांसद ।
2– संबंधित जिला के राज्य विधान सभा / राज्य विधान परिषद् के चुने गये माननीय सदस्य।
3– पुलिस अधीक्षक
4– अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित राज्य सरकार के तीन समूह "क" के अधिकारी / राजपत्रित पदाधिकारी।
5– अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से संबंधित अधिक से अधिक 5 गैर सरकारी सदस्य।
6– अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के भिन्न प्रवर्ग के ऐसे अधिक से अधिक तीन सदस्य होंगे, जो गैर सरकारी संगठनों से सम्बद्ध है।
7– जिला पदाधिकारी तथा जिला कल्याण पदाधिकारी क्रमशः अध्यक्ष, और सदस्य सचिव होंगे।

इस समिति की तीन मास में कम–से–कम एक बार बैठक की जानी है।

जिला स्तरीय सतर्कता एवं मोनीटरिंग समिति का पुनर्गठन के लिए उपरोक्त कंडिका के क्रमांक–5 एवं 6 में विभिन्न गैर सरकारी सदस्यों को मनोनित किया जाय। **गैर सरकारी सदस्यों के मनोनयन के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के समूहों में कार्यरत कर्मठ एवं लगनशील व्यक्तियों को नामित करने के लिए अपने अनुशंसा एवं संबंधित व्यक्तियों के संक्षिप्त बायोडाटा के साथ प्रस्ताव दिनांक–31.1.2015 तक भेजना सुनिश्चित किया जाये,** ताकि विधिवत् रूप से उन्हें उक्त समिति में नामित किया जा सके।

(ख)– नियमावली–1995 के नियम–17 के आलोक में **"जिला स्तरीय सतर्कता एवं मोनीटरिंग समिति'** की तीन माह में कम–से–कम एक बार बैठक की जाय एवं बैठक की कार्यवाही विभाग को उपलब्ध करायी जाय। प्रायः यह देखा जा रहा है कि कुछ जिलों में इस समिति की नियमित बैठकें आयोजित नहीं हो रही है। राज्यस्तरीय सतर्कता एवं मोनीटरिंग समिति में प्राप्त निदेश के आलोक में इस समिति की बैठक का त्रैमासिक रोस्टर निम्नांकित रूप से निर्धारित किया गया है:–

प्रत्येक तीन माह पर बैठक की अवधि :–

जनवरी – मार्च	**1 फरवरी से 15 फरवरी, 2015 के बीच**
अप्रैल – जून	**1 मई से 15 मई, 2015 के बीच**
जुलाई – सितम्बर	**1 अगस्त से 15 अगस्त, 2015 के बीच**
अक्टूबर – दिसम्बर	**1 दिसम्बर से 15 दिसम्बर, 2015 के बीच**

अगर उपरोक्त निर्धारित तिथि के अनुसार किसी विशेष परिस्थिति में बैठक करना संभव नहीं हो तो ये बैठक अगले कार्य दिवस पर की जायेगी। कृपया बैठक की कार्यवाही बैठक के 15 दिनों के अन्दर इस विभाग को भी निश्चित रूप से भेजना सुनिश्चत किया जाए।

(3) नियमावली–1995 के नियम–10 के तहत जिला स्तर पर अपर समाहर्ता स्तर के प्राधिकृत विशेष पदाधिकारी एवं जिला कल्याण पदाधिकारी को अधिनियम के आलोक में तुरंत राहत एवं सुरक्षा के उपाय के प्रति जागरूक होने के लिए जिला स्तर पर एक Awarness Programme का आयोजन किया जाय। इसके अलावा अपर समाहर्ता स्तर के प्राधिकृत विशेष पदाधिकारी के कार्यो की समीक्षा प्रत्येक माह करते हुए प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। साथ ही जिला में अत्याचार के परिलक्षित क्षेत्र में **"चेतना केन्द्र"** की स्थापना की जाय।

(4) नियमावली–1995 के तहत नियम–11 के आलोक में गवाहों/पीडित/आश्रित को देय दैनिक भत्ता/यात्रा भत्ता इत्यादि का भुगतान किया जाय।

(5) सभी जिला पदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक द्वारा अनु0 जाति और अनु0 जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन नियम–2014 के नियम–12(4) के आलोक में अत्याचार के पीडितों को त्वरित गति से राहत राशि एवं पुर्नवास की सुविधाएं उपलब्ध कराना सुनिशिचित किया जाय। साथ ही हत्या के मामले में आश्रित/पीडित को नियमानुसार पेशन देने की कार्रवाई ससमय की जाए। पेंशन के लाभुको की सूची तैयार कर उपलब्ध करायी जाय। इसके लिए आवश्यक राशि का मांग पत्र ससमय उपलब्ध कराया जाय। अत्याचार राहत मद में राशि उपलब्ध नही रहने पर नियमावली–1995 के नियम–12(4) के आलोक में तत्काल किसी मद में उपलब्ध राशि से राहत अनुदान दिया जाय। जिसका समायोजन बाद में आवंटित राशि से किया जाएगा।

6– अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन नियमावली–2014 के नियम–17 के आलोक में **"अनुमंडल स्तर पर उपखण्ड स्तरीय सर्तकता और अनुश्रवण समिति"** का गठन किया जाय।

7– विशेष लोक अभियोजकों के कार्यो की प्रत्येक कलैण्डर वर्ष में दो बार, जनवरी एवं जुलाई माह में जिला पदाधिकारियों द्वारा समीक्षा की जाय। असंतोषजनक कार्य करनेवाले विशेष लोक अभियोजकों को बदलने के संबंध में नियमानुसार कार्रवाई की जाय।

वर्णित स्थिति में कृपया सुनिश्चित करें कि विषयांकित नियम के तहत दिनांक–21.11.2014 को राज्य स्तरीय सर्त्तकता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक में दिये गये निदेश के आलोक में नियम– 10, 11, 12(4) 4(2), एवं 17 के आलोक में जिला स्तर पर नियमित रूप से समीक्षा किया जाय। साथ ही किये गये कार्यो से संबंधित प्रतिवेदन ई–मेल secy-welfare-bih@nic.in पर विभाग को प्रत्येक माह अवश्य उपलब्ध कराया जाय।

विश्वासभाजन,

(एस0 एम0 सन्जू)
सरकार के सचिव। 20/1/15

ज्ञापांक–1/पी0सी0आर0(विविध)–09–64/2014– 165 पटना, दिनांक– 20.01.2015

प्रतिलिपि– सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी पुलिस महानिरीक्षक/सभी पुलिस अधीक्षक/सभी विशेष पदाधिकारी (अपर समाहर्त्ता स्तर के पदाधिकारी)/सभी उप निदेशक, कल्याण/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी/सभी विशेष लोक अभियोजक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।
20/1/15

ज्ञापांक– 1/पी0सी0आर0 (विविध)09–64/14– 165 पटना, दिनांक– 20.01.2015

प्रतिलिपि– प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/प्रधान सचिव, गृह विभाग/सचिव, विधि विभाग/निदेशक, अभियोजन गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना/अपर पूलिस महानिदेशक (क0व0) अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।
20/1/15

ज्ञापांक–1/पी0सी0आर0(विविध)–09–64/2014– 165 पटना, दिनांक– 20.01.2015

प्रतिलिपि– मुख्य सचिव, बिहार/पुलिस महानिदेशक, बिहार को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।
20/1/15

Rameshwar babu sanjay new 2014